झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

-: अधिसूचना :-

विभागीयं संकल्प संख्या-1737 दिनांक-30.09.2019 के द्वारा श्री रामनाथ दास, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जामताड़ा सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध दोषी व्यक्ति को बचाने, स्वेच्छाचारिता एवं आदेश अवहेलना करने का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन में सहयोग देने के लिए श्री निलेन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमाताड़ा को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

कालांतर में विभागीय संकल्प संख्या-540 दिनांक-28.04.2020 के द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, विभागीय जाँच पदाधिकारी को प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-478 दिनांक-06.12.2021 के द्वारा प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही का जाँच अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच अधिगम एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों का सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री रामनाथ दास, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, जामताड़ा सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध लघु दण्ड अन्तर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

साथ ही आदेश दिया जाता है कि श्री दास को निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अबुबक्कर सिद्दीख पी.)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-02/निग0-06/2018 सह0 886 **/राँची, दिनांक-** 26.07.2022

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-02/निग0-06/2018 सह0 886 **/राँची, दिनांक-** 26.07.2022

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

E:\S.Murmu\2022-23\Notification (2022-23).docx